न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील / डिक्री / टीए / 1653 / 2005 / बीकानेर

1– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूनकरणसर जिला बीकानेर

.....अपीलार्थी

बनाम

मालूसिंह पुत्र तुलछसिंह (फौत) के का0मु0
1. मालकंवर बेवा मालूसिंह
2. मूलसिंह पुत्र मालूसिंह
3. दुर्गा पुत्री मालूसिंह
4. पूनमसिंह पुत्र मालूसिंह

जाति राजपूत निवासी लूनकरणसर जिला बीकानेर

.....प्रत्यर्थीगण

खण्ड–पीठ
श्री राकेश कुमार जायसवाल, सदस्य
श्री हरि शंकर गोयल, सदस्य

उपस्थित :
श्रीमती पूनम माथुर, उप राजकीय अभिभाषक
श्री यज्ञदत्त शर्मा, अभिभाषक प्रत्यर्थीगण

दिनांक

निर्णय

1– यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर (प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29–4–03 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– अपील ज्ञापन अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेंट वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् खातेदारी घोषणा, दुरूस्ती रिकोर्ड एवं चिर–स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादी अपीलांट सरकार न्यायालय उपखंड अधिकारी लूनकरणसर के समक्ष अपील ज्ञापन में अंकित विवादित आराजी के सबंध में पेश किया। परीक्षण न्यायालय उपखंड अधिकारी ने उभय पक्ष को सुनकर

आवश्यक तनकीयात कायम करते हुये वादीगण का वाद साबित न होने की स्थिति में निर्णय व डिक्री दिनांक 18–10–02 द्वारा खारिज कर दिया।

3– परीक्षण न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध रेस्पोडेंट वादी ने प्रथम अपील, न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत की। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 29–4–03 द्वारा प्रत्यर्थी वादी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करते हुये परीक्षण न्यायालय का निर्णय खारिज कर दिया। अपीलीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 29–4–03 से व्यथित होकर यह हस्तगत द्वितीय अपील अपीलार्थी द्वारा राजस्व मण्डल में पेश की गई है।

4– उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

5– विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील ज्ञापन में उद्वरित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि परीक्षण न्यायालय द्वारा राजस्व रिकोर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजात आदि का पूर्ण विश्लेषण एवं विवेचन करते हुये तनकीवार निर्णय पारित किया था। जबकि अपीलीय न्यायालय का निर्णय कानूनी प्रावधानों के विपरीत है। विवादित भूमि में से कुछ भूमि सडक में चली गई एवं कुछ भूमि अन्य व्यक्त्यिों को आवंटन हो गई तथा शेष 8 बीघा भूमि वर्तमान में राजकीय भूमि है जिस पर रेस्पोडेंट को किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं होते। विवादित आराजी पर वादीगण या उसके पूर्वजों का कब्जा नहीं रहा। जब तक वादी अपने आप को साबित नहीं करता उसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते। अपीलीय न्यायालय ने वाद को गलत डिक्री किया है। कानूनन कोई व्यक्ति खातेदारी का दावा करता है तो उसे साक्ष्य से सिद्ध करना होता है कि वह उसका खातेदार काश्तकार है। अपीलीय अधिकारी ने सरसरी तौर पर अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया। परीक्षण न्यायालय द्वारा आवश्यक तनकीयात कायम की जाकर सभी तनकीयों पर विस्तृत विवेचन करते हुये वाद खारिज किया है जबकि अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों को नजरअदांज करते हुये परीक्षण न्यायालय का निर्णय निरस्त करते हुये विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत अपील स्वीकार की है। अपीलीय न्यायालय ने गैर कानूनी रूप से वादी प्रत्यर्थीगण की अपील स्वीकार करने में कानूनी त्रुटि कारित की है। अतः यह द्वितीय अपील स्वीकार की जाकर अपीलीय न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

6– उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण ने अभिकथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर

326 की 11 बीधा व खसरा नंबर 457 की 16 बीधा जो कि पुराने खसरा नंबर 37/126 से बनी है उस पर संवत् 2012 से लेकर आज तक वादी रेस्पोडेंट का कब्जाकाश्त है। उक्त रकबा उपनिवेशन क्षेत्र में आने से चक नंबर व मुरब्बा नंबर बन गये। विवादित भूमि में से कुछ भूमि सडक में चली गई एवं कुछ भूमि अन्य व्यक्त्यिों को आवंटन हो गई। अब दोनों चकों की कुल 8 बीधा 10 बिस्वा भूमि वादी रेस्पोडेंट के कब्जेकाश्त में है। परीक्षण न्यायालय में वादी द्वारा साक्ष्यों से तनकीयात साबित कराने के बावजूद वाद खारिज किया गया है। अपीलीय न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों एंव वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की स्पष्ट विवेचना करते हुये परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त कर वादी अपील स्वीकार करने में किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं की है। अपीलीय न्यायालय के आलोच्य निर्णय में क्षेत्राधिकार सम्बन्धी अथवा विधिक या तथ्यपरक ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिसके आधार पर द्वितीय अपील के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप किया जा सके। अतः प्रस्तुत द्वितीय अपील खारिज की जावे।

7— उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों पर उपलब्ध निर्णयों के साथ रेकॉर्ड का गहनता से अद्योपांत अवलोकन व अध्ययन किया गया।

8— रेस्पोडेंट वादी द्वारा वाद पत्र के पैरा नंबर 4 में आराजी मुतनाजा को संवत् 2012 से पूर्व से आज तक लगातार कब्जाकाश्त होना अंकित किया है परंतु ऐसा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है जोकि उसके इस कथन की पुष्टि करता हो। वादी द्वारा पर्चा लगान एवं जमाबंदी संवत् 2025 भी प्रस्तुत की है जिसमें वादी को गैर खातेदार के रूप में दर्ज किया है। अधिकांश भूमि आराजीराज/गैर मु0सडक/रास्ता दर्ज है तथा वादी द्वारा 14 के. एल.डी की मुरब्बा नंबर 52/17 की 7.14 बीघा भूमि पर संवत् 2057 में अतिक्रमी की हैसियत से दर्ज रहा है। परीक्षण न्यायालय द्वारा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष व्यक्त किया है कि मुतनाजा भूमि रिकोर्ड में आराजीराज दर्ज है तथा मात्र एक साल अतिक्रमी की हैसियत से काबिज रहने के आधार पर वादी के हक मं अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव में खातेदारी अधिकारों की घोषणा नहीं की जा सकती है। रेस्पोडेंट वादी के द्वारा ऐसा कोई भी साख्य पेश नहीं किया है कि वह संवत् 2025 में विवादित आराजियात गैर खातेदार के रूप में उसके नाम किस प्रकार दर्ज हुई है। राजस्व अपील प्राधिकारी के द्वारा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का समुचित विवेचन किये बिना परीक्षण न्यायालय के निर्णय को अपास्त करते हुये वादी को खातेदार घोषित किया है जिसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

9— पर्चा लगान 392 में खसरा नंबर 326 क्षेत्रफल 11 बीघा व खसरा नंबर 457 क्षेत्रफल 16 बीघा कुल 27 बीघा भूमि का वादी को गैर खातेदार दर्ज हो रकम लगान कायम होना तथा जमाबंदी संवत् 2025 में वादी को गैर खातदार दर्ज होने के अंकन को आधार मानकर अपीलीय न्यायालय ने वाद को गलत डिक्री किया है। वादीगण का वाद सिद्ध न होने की स्थिति में ही परीक्षण न्यायालय ने विस्तृत विवेचन व विश्लेषण के साथ तनकीवार उसका वाद खारिज किया है किंतु अपीलीय न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यों को सही आलोक में नहीं देखकर मात्र कयास एवं बिना साक्ष्य/दस्तावेज के आधार पर बिना तनकीवार विवचेन, विश्लेषण उपरांत निर्णय पारित किये वादी की अपील स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय का निर्णय निरस्त किया है, जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता। अतः द्वितीय अपील स्वीकार योग्य है।

10— उपरोक्त विवेचन के आधार पर हस्तगत् अपील स्वीकार की जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29—4—03 निरस्त किया जाता है तथा उपखंड अधिकारी लूनकरणसर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18—10—02 बहाल रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हरि शंकर गोयल)
सदस्य

(आर.के.जायसवाल)
सदस्य